

प्रेस नोट दिनांक—17.11.2023

जनपद मुजफ्फरनगर

➤ थाना भौराकलां पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

—

दिनांक 16.11.2023 को थाना भौराकलां पर नियुक्त उ०नि० श्री रनवीर सिंह मय हमराहीगण द्वारा 01 अभियुक्त सनुज कुमार पुत्र नैनसिंह निवासी ग्राम व थाना भौराकलां मुजफ्फरनगर को कटार सिंह का तिराहा ग्राम भौराकलां से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद पौना(देशी बन्दूक) 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबन्ध में थाना भौराकलां पुलिस द्वारा मु०अ०सं० — 124/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ०नि० श्री सुमित कुमार द्वारा की जा रही है।

➤ थाना पुरकाजी पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तगण गिरफ्तार —

दिनांक 16.11.2023 को थाना पुरकाजी पर नियुक्त उ०नि० मनोज कुमार मय हमराहीगण द्वारा वाद सं० — 17/16 मु०अ०सं० 36/15 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वारण्टी अभियुक्तगण 1— तोहिद पुत्र शहीद निवासी ग्राम कलियर थाना रूडकी जनपद हरिद्वार। 2— अखलाक पुत्र हसन निवासी महमूदपुर थाना रूडकी जनपद हरिद्वार को अभियुक्तगण के मसकन से गिरफ्तार किया गया।

➤ थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार —

दिनांक 16.11.2023 को थाना बुढ़ाना पर नियुक्त उ०नि० श्री राजदीप सिंह मय हमराहीगण द्वारा थाना बुढ़ाना पर पंजीकृत मु०अ०सं० 518/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त अनिल राठी पुत्र बाबूराम नि० ग्राम लुहसाना थाना बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर को बुढ़ाना लुहसाना मार्ग पर आम के बाग के पास से गिरफ्तार किया

गया। पंजीकृत अभियोग की विवेचना निरीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा की जा रही है।

➤ थाना सिखेड़ा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार –

दिनांक 17.11.2023 को थाना सिखेड़ा पर नियुक्त उ०नि० श्री पवन कुमार मय हमराहीगण द्वारा वाद सं० दृ 3409/9/18 धारा 13 जी एक्ट में वारण्टी अभियुक्त समुन्द्र दास पुत्र सत्यवीर सिंह निवासी मौ० अहमदनगर ग्राम कूकड़ा थाना नई मण्डी, मुजफ्फरनगर को अभियुक्त के मसकन से गिरफ्तार किया गया।

➤ थाना छपार पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार –

दिनांक 17.11.2023 को थाना छपार पर नियुक्त निरीक्षक श्री मुनीश कुमार मय हमराहीगण द्वारा थाना छपार पर पंजीकृत मु०अ०सं० दृ 267/23 धारा 279/304ए/427 में वांछित अभियुक्त अरून फुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम अताई नगर, रामपुर को छपार टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया। पंजीकृत अभियोग की विवेचना निरीक्षक श्री मुनीश कुमार द्वारा की जा रही है।

➤ थाना छपार पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार –

दिनांक 17.11.2023 को थाना छपार पर नियुक्त उ०नि० श्री नवीन कुमार गौतम मय हमराहीगण द्वारा वाद सं० दृ 1131/19 धारा 138(1) विध्युत अधिनियम में वारण्टी अभियुक्त जयसिंह पुत्र सिखवीरा निवासी ग्राम रेई थाना छपार, मुजफ्फरनगर को अभियुक्त के मसकन से गिरफ्तार किया गया।